भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 799

दिनांक 07 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असम में आयुष्मान भारत योजना

799. श्री गौरव गोगोई:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुवाहाटी स्थित डॉ. भुवनेश्वर बरूआ कैंसर संस्थान (बीबीसीआई) ने अपर्याप्त निधि के कारण आयुष्मान भारत कार्ड के अंतर्गत उपचार स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और योजना के कार्यान्वयन के अंतिम चरण में ऐसी समस्याओं से संबंधित अन्य रिपोर्ट क्या हैं;

(ग) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत असम में लाभार्थियों के रूप में नामांकित परिवारों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(घ) सरकार द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को समय पर सुलभ बनाने के लिए विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में पर्याप्त अस्पतालों को पैनल से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने असम में स्वास्थ्य देखभाल सुलभ बनाने और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कार्यक्रम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रभाव आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) डॉ. बी. बरूआ कैंसर संस्थान (बीबीसीआई), गुवाहाटी, जो असम राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत सूचीबद्ध है, ने भर्ती किए गए सभी योजना लाभार्थियों को उपचार प्रदान करने का कार्य जारी रखा है। दिनांक 03.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार, डॉ. बी. बरूआ कैंसर संस्थान (बीबीसीआई), गुवाहाटी में एबी-पीएमजेएवाई के तहत 159 करोड़ रुपये के 86,548 से अधिक अस्पताल में भर्तियाँ अधिकृत की गई हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) एबी-पीएमजेएवाई के तहत, असम राज्य में 1.72 करोड़ व्यक्तियों के कुल 57.70 लाख परिवारों ने अपने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। असम राज्य में एबी-पीएमजेएवाई के तहत नामांकित परिवारों का जिला-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार करने हेतु इस योजना के तहत पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ कार्य करता है। दिनांक 04.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार, असम राज्य के 352 अस्पतालों सहित देश भर में 30,072 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हैं। अस्पतालों की भागीदारी में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

i. के साथ एक संशोधित एचबीपी जारी किया है। (1961) (एनएचए ने प्रक्रियाओं की संख्या में वृद्धि इसके अलावा, 350 पैकेजों के लिए दरों में वृद्धि की गई है और नए पैकेज जोड़े गए हैं।

ii. दावा निपटान की निगरानी उच्चतम स्तर पर की जाती है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि दावे का निपटान निर्धारित टर्नअराउंड समय के भीतर किया जाए।

iii. एनएचए ने अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल एंगेजमेंट मॉड्यूल (एचईएम 2.0) का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया है।

iv. अस्पतालों का आभासी और वास्तविक क्षमता निर्माण संबंधी कार्य किया जाता है।

v. रियल टाइम के आधार पर चिंता का समाधान करने के लिए अस्पताल-विशिष्ट कॉल सेंटर (14413) स्थापित किया गया है।

vi. लाभार्थियों और अस्पतालों को पेश आ रही समस्याओं को समझने के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों का नियमित दौरा करने के लिए जिला कार्यान्वयन एककों (डीआईयू) की स्थापना की गई है।

चूंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, एबी-पीएमजेएवाई के तहत अस्पतालों को पैनल में शामिल करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। इसके अलावा, अस्पताल को पैनल में शामिल करना एक सतत प्रक्रिया है और इसे किसी दिए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं (एबी-पीएमजेएवाई मानदंडों को पूरा करने वाले) की आवश्यकताओं और उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अंतर्गत और अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल

करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

(ङ): एबी-पीएमजेएवाई के प्रभाव को समझने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-2020 में एक आधारभूत अध्ययन शुरू किया गया था। इस अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ जागरूकता बढ़ाने, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कार्यनीतियों की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को समय पर विशेषीकृत परिचर्या प्राप्त हो, लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने और उनकी सहायता करने के लिए समर्पित स्टाफ जैसी अन्य स्थितियों से प्राप्त अनुभवों को दोहराया जा सके, लाभार्थियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए संचार और फीडबैक चैनल स्थापित की जा सके। इसके अलावा, वर्ष 2024 में, लाभार्थी जागरूकता और योजना के ज्ञान, उपयोग की स्थिति, लाभार्थी दौरा और संतुष्टि को समझने के साथ-साथ एबी-पीएमजेएवाई (मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष) के समग्र प्रभाव का आकलन करने के मुख्य उद्देश्य से एक और अध्ययन शुरू किया गया था।

अनुलग्नक

<u>एबी-पीएमजेएवाई के तहत असम राज्य में नामांकित परिवारों का जिलावार विवरण</u>

क्र.सं.	**जिला**	**नामांकित परिवारों की संख्या**
1	बक्सा	1,93,140
2	बारपेटा	3,27,386
3	विश्वनाथ	1,45,505
4	बोंगाईगांव	1,41,624
5	कछार	3,04,684
6	चराइदेव	93,950
7	चिरांग	98,877
8	दरांग	1,73,519
9	धेमाजी	1,42,968
10	धुबरी	2,94,519
11	डिब्रूगढ़	2,40,156
12	दीमा हसाओ	26,953
13	गोलपारा	1,69,022
14	गोलाघाट	2,26,680
15	हैलाकांडी	1,24,423
16	होजाई	1,33,433
17	जोरहाट	2,10,391
18	कामरूप	3,08,347
19	कामरूप मेट्रो	1,62,887
20	कार्बी आंगलोंग	89,388
21	करीमगंज	2,15,560
22	कोकराझार	1,77,824
23	लखीमपुर	2,00,894
24	माजुली	36,294
25	मरीगांव	1,83,900
26	नागांव	3,43,161
27	नलबाड़ी	1,57,218
28	शिवसागर	1,49,675
29	सोनितपुर	1,97,549
30	दक्षिण सलमारा मनकाचर	68,399
31	तिनसुकिया	2,36,467
32	उदलगुरी	1,64,206
33	पश्चिम कार्बी आंगलोंग	31,980

*****